न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :–1007/2016

1. कैलाश चन्द, उम्र 47 वर्ष
2. मोहरूराम, उम्र 43 वर्ष
3. रामेश्वर, उम्र 36 वर्ष
4. बाबूलाल, उम्र 32 वर्ष

पुत्रान स्व. खूबाराम

5. नन्छी देवी पत्नी स्व. खूबाराम उम्र 72 वर्ष

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम भूरावाली तन बिहारीपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

–अपीलांट्स–

बनाम

1. लक्ष्मीनारायण उर्फ लक्ष्मण
2. सुरेश कुमार
3. बाबूलाल पुत्र
4. शिम्भूदयाल
5. श्रवण

पुत्रान स्व. श्री हीरालाल

6. मोती देवी पत्नी स्व. श्री हीरालाल
7. मीरा देवी पुत्री स्व. श्री हीरालाल

समस्त जाति जाट, निवासी ताखरो की ढाणी, ग्राम भूरा वाली तन, बिहारीपुरा, तह0 आमेर, जिला जयपुर।

8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

–रेस्पोडेंट्स –

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1–श्री ओ0 पी0 काला अपीलांट्स की ओर से।

2–श्री सुनिल उप्पल रेस्पोडेंट्स की ओर से।

:– निर्णय :– दिनांक :–**05–12–2017**

1– यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 25–11–2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौंमू प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी अपीलान्ट के पिता स्व. श्री खूबाराम ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क)

रेस्पोडेंटस संख्या 1 लगायत 7 के पूर्वज श्री हीरालाल विरूद्ध प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रार्थी ग्राम भूरावाली के खसरा नम्बर 21 रकबा 1.6 हैक्टैयर का खातेदार काश्तकार है तथा उक्त भूमि में आवागमन हेतु रेस्पोडेंट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 20 रकबा 0.73 हैक्टै0 में से रास्ते उत्तरी सीमा पर पूर्व से पश्चिम व रास्ते हेतु 24X6.25 मीटर रास्ते की आवश्यकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अपने आदेश दिनांक 25–10–2016 द्वारा अपीलान्ट द्वारा चाहे गये रास्ते को नहीं दिया जाकर अन्य जगह से रास्ता दिये जाने के आदेश पारित किये गये जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलान्टस द्वारा अपनी अपील में कथन किया गया है कि अपीलाधीन आदेश विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। अपीलार्थीगण को अपनी भूमि में आने–जाने हेतु सबसे निकटतम रास्ता खसरा नम्बर 20 में ही उपलब्ध है जो मांगे जाकर आबादी भूमि के खसरा नम्बर 50 में जाकर मिलता है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दीगर जिगर तथा लम्बा रास्ता देने का आदेश पारित किया गया है। तहसीलदार आमेर की जांच रिपोर्ट दिनांक 23–10–2012, 11–11–2012, 12–12–2012 से स्पष्ट है कि प्रार्थी के पास चौंमू सिरसली रोड से अपनी खातेदारी भूमि को जाने का कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र चाहा गया रास्ता ही सर्वाधिक निकटतम व सुविधाजनक है। अपीलान्ट द्वारा चाहा गया रास्ता करीब 25 वर्षों से चालू ही था परन्तु न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बाद रेस्पोडेंट द्वारा बन्द कर दिया गया। जिसे उपखण्ड अधिकारी आमेर का आदेश दिनांक 2–9–2013 की पालना में दिनांक 12–9–2013 को नायब तहसीलदार रामपुरा डाबरी द्वारा चालू किया गया है। इस प्रकार सबसे उपयुक्त रास्ता था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्य जगह तथा लम्बा रास्ता दिये जाने का आदेश पारित किया है। अपीलाधीन आदेश रेस्पोडेंट की तथाकथित गलत अंडरटेकिंग पर बिना किसी जांच सहादत के विश्वास कर पारित किया गया है जो कि अनुचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दीगर न्यायालय में विचाराधीन तथाकथित प्रकरणों के साथ नहीं किया जा सकता था उनकी विषय वस्तु पर अपने निर्णय में बिना किसी कारण व आधार के विचार कर अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत कर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जाने का अनुतोष चाहा गया तथा अपीलान्ट द्वारा चाहे अनुसार रास्ता दिये जाने का निवेदन किया।

4– अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रस्तुत कर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपील के दौरान रेस्पोडेंट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 प्रस्तुत किया गया। न्यायालय पर भी बहस उभय पक्ष सुनी गई।

5– अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि तहसीलदार आमेर की जांच रिपोर्ट दिनांक 11–11–2012 से प्रार्थी अपीलान्ट के तथ्य की पुष्टि होती है। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में वैकल्पिक रास्ते सुझाये गये है तथा एक प्रकार से रास्ता नहीं होना स्वीकार किया है। अपीलाधीन आदेश प्रक्रिया एवं तथ्यों के विपरीत पारित किया गया है तथा जो अनुतोष नहीं चाहा गया है वह निर्णय में दिया गया है। रेस्पोडेंटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 के साथ जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं उनका कोई सम्बध अपील से नहीं है तथा वे सुसंगत नहीं है इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे तथा अपील स्वीकार की जाकर प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 251 (क) स्वीकार किया जावे। अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2006 (2) आरआरटी 1149, 2007 (2) आरआरटी 951, 2001 (2)आरआरटी 683 प्रस्तुत किये गये।

6– रेस्पोडेंट के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उनके द्वारा अंडरटेकिंग प्रस्तुत की गई थी तथा न्यायालय को प्रकरण संख्या 102/2012 तथा 96/2012 जो उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष विचाराधीन थे के बारे में अवगत करवाया गया था। वर्तमान में रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 के साथ दस्तावेज प्रमाणित प्रतिलिपि निर्णय दिनांक 13–06–2017 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर प्रस्तुत किया गया हैं उक्त निर्णय प्रकरण सख्या 102/2012 व 96/2012 में पारित किया गया हैं जिनके बारे में रेस्पोडेंट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अण्डरटेकिंग दी गई थी।उक्त दस्तावेज हस्तगत प्रकरण में न्याय की दृष्टि से महत्वपूर्ण एवम सुसंगत दस्तावेज हैं जिसे रिकार्ड पर लिया जाना आवश्यक हैं। अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा प्रकरण के गुणावगुण पर बहस करते हुए कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी की सुविधा को देखते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया

गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील अस्वीकार कर खारिज की जावे। रेस्पोडेंट द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई है। जो शामिल पत्रावली है। रेस्पोडेंट द्वारा कथन किया गया कि खसरा नम्बर 20 में बने मकानात के पीछे से खसरा नम्बर 48 में से जो कि रेस्पोडेंट की खातेदारी भूमि है में से रास्ता दिये जाने बाबत् रेस्पोडेंट सहमत है तथा यही रास्ता सबसे ज्यादा सुविधाजनक है क्योंकि अपीलान्ट के अलावा अन्य खातेदार कालू व नाथू द्वारा भी रास्ता की मांग की गई है जो कि उसी एक रास्ता से पूरी की जा सकती है।इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय उचित तौर पर तथा समस्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया है जो कि यथावत रखा जाने योग्य है।

7– उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। रेस्पोडेंट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 के साथ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के निर्णय दिनांक 13–06–2017 की प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है जो कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25–11–2016 के पश्चात का दस्तावेज हैं। उक्त दस्तावेज मौजूदा अपील के निस्तारण में प्रासंगिक नहीं है इसलिये प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियमय 27 अस्वीकार किया जाता हैं। अपीलान्ट्स द्वारा अपनी अपील में मुख्य आपत्ति यह की गई है कि उनके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 20 रकबा 0.73 हैक्टेयर में से 24 मीटर लम्बाई एवम 6.25 मीटर की चौडाई का रास्ता चाहा गया था जो कि सबसे छोटा एवं सुविधाजनक हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र रेस्पोडेंट्स की अन्डरटेकिंग दिये जाने से उपखण्ड अधिकारी आमेर के यहॉ विचाराधीन दो प्रकरणों क्रमशः 102/2012,96/2012 के तथ्यों को निर्णय के दौरान विचारण में लिया गया हैं जब कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त प्रकरणों संबंधी कोई रिकार्ड उपलबध नहीं था न ही न्यायालय द्वारा उक्त रिकॉर्ड तलब किया गया हैं। न्यायालय को चाहिए था कि उक्त तीनों प्रकरणों को कन्सोलिडेट कर निर्णय पारित करते। रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादीगण द्वारा भी अपने अण्डरटेकिंग प्रार्थना–पत्र में तीनों प्रकरणों को कन्सोलिडेट कर निर्णय पारित करने का निवेदन किया गया हैं जबकि ऐसा नहीं किया गया हैं।अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णय में प्रार्थी/अपीलान्ट्स के पास अपनी खातेदारी की कृषि भूमि में आवागमन के लिए वैकल्पिक रास्ता नहीं होने

तथा रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता होने के तथ्य को अंकित किया हैं इस प्रकार प्रार्थी/अपीलान्ट्स धारा 251 के तहत रास्ता पाने का अधिकारी हैं। प्रकरण में विवाद मात्र इस बात को लेकर है कि प्रार्थी/अपीलान्ट्स के द्वारा चाहा गया रास्ता मात्र 24 मीटर का हैं तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में अन्य प्रकरणों के तथ्यों पर विचार अप्रार्थी/रेस्पोडेन्टस की अण्डरटेकिंग के आधार पर किया जाकर 48 मीटर रास्ता दिये जाने के आदेश प्रदान किये है तथा अपीलान्ट्स को उक्त रास्ते का भुगतान अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंटस के पक्ष में किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली की आदेशिका दिनांक 07–10–2016 में मौका देखा जाना अंकित किया हैं परन्तु कोई मौका जॉच रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि जो अन्य काश्तकारों की सुविधा को देखते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया हैं उसमें रास्ते में आने वाली भूमि का आनुपातिक भुगतान किस तरह से होगा तथा न ही उक्त रास्ते में आने वाली भूमि किन–किन की खातेदारी में स्थित हैं उनका कोई स्पष्ट विवरण अंकित किया गया हैं।अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह भी अंकित नहीं किया गया हैं कि जब खसरा नम्बर 20 में प्रार्थी के द्वारा 20 मीटर लम्बे रास्ते की मांग की गई हैं तो उसके स्थान पर 48 मीटर का रास्ता दिये जाने के क्या विधिक आधार उपस्थित हैं। अधिनस्थ न्यायालय को निर्णय पारित करने से पूर्व अपने निर्णय में वर्णित दोनों प्रकरणों क्रमशः 96/2012,102/2012 जो उपखण्ड अधिकारी आमेर के न्यायालय में विचाराधीन थें, से संबंधित पत्रावलियों को तलब किया जाकर तथा उनका अवलोकन कर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था जो नहीं कर अपने निर्णय में सारभूत त्रुटि कारित की गई हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने द्वारा किये गये मौका जॉच की कोई स्पष्ट जॉच रिपोर्ट भी उभय पक्षकारो की मौजूदगी में तैयार नहीं की गई हैं। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने में तथ्यों एवं विधि सम्बंधी सारभूत त्रुटि कारित की गई हैं तथा उक्त निर्णय बहाल रखे जाने योग्य नहीं हैं। अपीलान्ट्स की अपील आंशिक रूप से स्वीकार योग्य पाई जाती हैं।

8– अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 25–11–2016 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन दिशा–निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष की मौजूदगी में मौका

जॉच की जाकर तथा उन्हें सुना जाकर पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जावे।

9— निर्णय आज दिनांक 05—12—2017 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर